तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लक्ष्मणसिंह. बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ.अपील सं0 193 / 2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी लक्ष्मणसिंह पुत्र मयाराम विश्नोई निवासी गांव चिरढाणी, पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.04.23 में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसीलदार बिलाड़ा से दिनांक 01.01.2021 से 30.03.2023 तक की समयावधि में कोयला परिवहन हेतु जारी किये गये परिवहन पारपत्र एवं चालान की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 356 दिनांक 04.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.टी.आई / 2023 / 337 दिनांक 20.07.23 द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित करवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) **जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.**	